जुगराज बनाम पवन ड्रेस मेटेरियल

(55/2016)

05.04.22

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट् द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 30–03–2010 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 725, 728, 729, 731, 732 व खसरा नम्बर 1237/726 का धारा 90 ए के तहत संपरिवर्तन होने के कारण कृषि भूमि नहीं रहने के कारण वादग्रस्त भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलांट् की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट् प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वाद प्रस्तुत करने की दिनांक को वादग्रस्त भूमि एक कृषि भूमि होने के कारण वादग्रस्त भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है, अतः रेस्पोडेन्ट का सुनवाई के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर उठाई गई आपत्ति को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र आपत्ति पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–03–2010 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए ग्राम किसमीदेसर के खसरा नम्बर 725, 728, 729, 731, 732 व खसरा नम्बर 1237/726 के विरूद्व चाराजोई की गई है। चूंकि अपीलांट् द्वारा जिन खसरा नम्बर के विरूद्व न्यायालय के समक्ष चाराजोई की गई है उक्त खसरा नम्बर का संपरिवर्तन हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होने व आबादी भूमि होने के कारण उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील श्रवणाधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर